तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.11.17	अधिनियम 1974 के तहत की गयी थी। इसके अपीलार्थी अपनी अपील के ज्ञापन पत्र पर प्रार्थना पत्र अनुसार संशोधन कराना चाहते है। जो इस प्रकार है "विपरीत अन्तर्गत नियम 30 आर्डर 41 सी.पी.सी. / डिक्री अन्तर्गत आदेश आदेश लेख 1974 विरुद्ध आदेश दिनांक 10.6.2003 प्रकरण सं. 2239/2016 आदेश 5/1 ग्राम पंचायत पटरा सं. 148 दिनांक 27.6.2003 के विरुद्ध"
	अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा उक्तानुसार मूल विपरीत संशोधन करने का आदेश पारित किया जावे।
	इसके पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत अपीलार्थी अभिभाषक के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तत्पश्चात नागरिक प्रक्रिया संहिता पूर्वक विचार करने के उपरान्त अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90-A R.L.R.A. के तहत प्रस्तुत अपील को पुराने ही एक्ट की धारा 30 के तहत प्रस्तुत की जाना मानते हुए उक्तानुसार संशोधन करने की अनुमति वकील अपीलार्थी को दी जाती है। उक्त अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी के इस आधार पर नम्बर से कायम की जावे तथा पुराने ही एक्ट के तहत प्रस्तुत होना मानते हुए पुराने ही एक्ट के प्राधिकारी रजिस्टर में दर्ज की जावे। वकील अपीलार्थी / प्रार्थी उक्तानुसार संशोधित